प्रेस नोट

दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेललिपि सुविधाओं वाले मतदाता पहचान–पत्र बाबत्

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रथम बार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांग मतदाताओं के लिये ब्रेल सुविधाओं वाले मतदाता पहचान–पत्र तैयार कराये गये हैं। ब्रेललिपि पढ़ने वाले मतदाताओं को सामान्य फोटो मतदाता पर्ची के साथ ब्रेल लिपि में तैयार मतदाता पर्ची एवं ब्रेल लिपि मतदाता पहचान–पत्र भी जिलों द्वारा वितरित कराये गये हैं।

ब्रेल मतदाता पहचान–पत्र में मतदाता फोटो पहचान–पत्र की तरह मतदाता की जानकारी एक तरफ रहेगी व दूसरी तरफ ब्रेललिपि में विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम, मतदान केन्द्र का क्रमांक व पता, मतदाता का नाम एवं पिता के नाम की जानकारी अंकित की गई है ताकि दिव्यांग मतदाता मतदान सुनिश्चित कर सके।